संख्या-77/2019/1624/छप्पन-2019-43/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 सितम्बर, 2019

विषय :राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर के लिए Elevator Assy. Qty.1 तथा Heat Exchanger Qty.1 एवं इनके इंस्टालेशन हेतु स्पेयर्स क्रय किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-315/CADUP/ENG(PUR)/A-2/2019 दिनांक 13 अगस्त, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय अगुस्ता A109S,VT-UPL हेलीकाप्टर में लगे Elevator Assy. LH Part No. 109-0200-02-801 तथा Heat Exchanger, Part No. 8585C000-001, DGCA द्वारा अनुमोदित TBO List के अनुसार 3000 उड़ान घण्टे के बाद क्रमश: Retirement तथा Overhaul के लिए ड्यू हो रहे हैं, जिसमें से Heat Exchanger, Part No. 8585C000-001 Qty. 01 को एक्सचेंज के आधार पर क्रय किया जाना है। प्रश्नगत पुर्जों के इंस्टालेशन हेतु अन्य पुर्जों को भी क्रय किया जाना है। इस निमित्त हेलीकाप्टर निर्माता कम्पनी मेसर्स लियोनार्डो एस.पी.ए. इटली से प्राप्त आफर संख्या-136295 दिनांक 11.07.2019 तथा आफर संख्या-136149 दिनांक 08.07.2019 के अनुसार वर्णित पुर्जों को क्रय करने हेतु कुल यू.एस.डालर 170107.53 का व्यय निहित है , जो भारतीय मुद्रा में रूपए 73/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रूपए 1,24,17,850/- होता है तथा प्रश्नगत आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में साख पत्र खोले जाने के लिए लेटर आफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपए 12,41,785/- को सम्मिलित करते हुए बैंक चार्जेज सहित कुल रूपए 1,36,59,635/- (रूपए एक करोड़ छत्तीस लाख उनसठ हजार छ: सौ पैंतीस मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है । चूँकि Heat Exchanger, Part No. 8585C000-001 Qty. 01 को एक्सचेंज के आधार पर क्रय किया जाना है, जिसे हेलीकाप्टर से निकालकर फर्म को वापस भेजा जाएगा। खराब यूनिट का अधिकतम कोर वैल्यू यू0एस0 डालर 42665.00 फर्म द्वारा क्रेडिट मेमों के रूप में वापस किया जाएगा, जिसका समायोजन निदेशालय द्वारा निर्गत अन्य क्रय आदेशों से किया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर के लिए Elevator Assy. Qty.1 तथा Heat Exchanger Qty.1 एवं इनके इंस्टालेशन हेतु स्पेयर्स हेलीकाप्टर निर्माता कम्पनी मेसर्स लियोनार्डो एस.पी.ए. इटली से प्राप्त आफर के आधार पर कुल यू.एस.डालर 170107.53 जो भारतीय मुद्रा में रूपए 73/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रूपए 1,24,17,850/- होता है, में क्रय किए जाने तथा प्रश्नगत आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में साख पत्र खोले जाने के लिए लेटर आफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपए 12,41,785/- को सम्मिलित करते हुए बैंक चार्जेज सहित कुल रूपए 1,36,59,635/- (रूपए एक करोड़ छत्तीस लाख उनसठ हजार छ: सौ पैंतीस मात्र), के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में निर्माता कम्पनी को वायर ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

3- निर्माता फर्म को हेलीकाप्टर से निकाले गए यूनिट वापस भेजे जाने पर पुर्जे की कोर वैल्यू यू.एस.डालर 42665.00 मात्र फर्म द्वारा क्रेडिट मेमो के रूप में वापस किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त यू.एस. डालर-42665.00 के क्रेडिट मेमो का समायोजन नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा अन्य क्रय आदेशों से किया जाए तथा समायोजन के पश्चात इसकी सूचना शासन को दी जाए।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

5- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा की जाएगी। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन एवं यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-679/ई-7-2019 दिनांक 09 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0-77/2019/1624(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-।0
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।